

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोंडाभीम जिला करौली

पत्र 157 / 2017

तारीख पत्र - 28.12.2017

धारणी अधिकारी - जगदीश आर्य

जनमान

सौजन्यपूर्ण रूप से अनौतुंगमान पुत्र अय्युस बागी बागि मुकदमन निवासी घाई नं 1 पत्नीबाब टोंडाभीम।

(बादी)

- | | | |
|---|---|---|
| <p>1. हिचकुंदाबान</p> <p>2. अणीनुसमान</p> <p>3. सनीतुंगमान</p> <p>4. जगीनुसमान</p> <p>5. मोहम्मद सहीद उर्फ मोहम्मद सादिक</p> <p>6. सनीनुसमान उर्फ सनीकुंदाबान उर्फ सलीफ पुत्र अय्युस अहमद</p> <p>7. सैयद खैरुल जरीफ तहसीलदार टोंडाभीम</p> <p>8. तहसीलदार टोंडाभीम</p> | <p>कानून</p> <p>श्री डी.एच.कुंदाबान</p> | <p>समस्त बागि मुकदमन निवासीघान टोंडाभीम</p> |
|---|---|---|

(प्रतिवादीनम्)

दावा काका तकरामा व स्याई निवेदाता

उपस्थिति - श्री मनोज कुमार वर्मा एडवोकेट (बादी)

श्री सयैद सहीद अली एडवोकेट (प्रतिवादी)

निर्णय

दिनांक - 25.08.2018

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि आठजीघाता डाल खण्ड 1566/0. 13, 2000/0.14, 2014/0.01, 2045/0.05, 2048/0.01, 2056/0.02, 2057/0.02, 2058/0. 24, 2059/0.15, 2060/0.15, 2061/7550 0.05, 2062/0.08, 2071/0.14, 2097/7549 रकबा 0.05 हे० कुल किरा 14 रकबा 1.53 हे० वाले कान्त टोंडाभीम 11 विस्था में स्थित है। उक्त भूमि में बागी बहिनसा 1/2 प्रतिवादी नं 1 का 5 सकुका रूप से बहिनसा 1/4 एवं प्रतिवादी नं 8 बहिनसा 1/4 छातेदार काफिलार एवं रिहाई है। विविक्त तकरामा वनामे का दावा पैत किरा गया था। प्रतिवादीनम् जरिए अभिभावक उपस्थित होकर जमान इस प्रकार पेश किया कि बादी का दावा तकरामा कर लिया जाये। बादी का दावा तकरामा की रितीक तब स्वीकार है तब रितीक स्याई निवेदाता अवधीकार है। बागि तकरामा की बहिन साकुकर यह दावा दिनांक 10.04.2018 को प्राथमिक डिबी कर तहसीलदार टोंडाभीम को बहिनसा कमीशनर नियुक्त किया गया है। तहसीलदार की ओर से प्रस्तुत बटवारा स्वीम का उपस्थितअवतल अभिभावक ने अवधीकरण कर बटवारा स्वीम के अनुसार दावा फर्दगत डिबी करने का प्रस्ताव किया कतीत उभय पक्ष की बहिन पर मनन किया बटवारा स्वीम एवं बटवारी में उपस्थित जमानापी वर अवधीकरण किया। बटवारा स्वीम के अनुसार दावा डिबी सौंप कतीत होने से फर्दगत डिबी किया जाता है।


अब बादी को टोंडाभीम 11 विस्था की आठजी घण्ट 1566/0.13, 2000/0.14, 2060/0.15, 2061/7550/0.05, 2071/0.14, 2059/0.15 कुल किरा 08 कुल रकबा 0.76


 उपजिला कलक्टर
 टोंडाभीम (बादी)

3 का, प्रतिवादी नं० 1 तथापत 5 को आराजी ख०न० 2044/0.01, 2045/ 0.18, 2046/0.1, 2057/0.02, 2058/0.12, 2097/7549/0.03, कुल कित्ता 6 कुल रकम 0.37 है० का, प्रतिवादी नं० 6 को आराजी ख०न० 2045/1/0.18, 2058/1/0.12, 2062/0.06, 2097/7834/0.02, कुल कित्ता 4 कुल रकम 0.38 है० का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

आराजी ख०न० 2058/रकम 0.02 किंग में 0.50 मरिगाद बादी बहिस्ता 1/2 एवं प्रतिवादी नं० 1 ता 5 बहिस्ता 1/4 एवं प्रतिवादी नं० 6 बहिस्ता 1/4 के नाम समुदा रूप से होगा। नवशा ट्रेस निर्णय के साथ चलान रहेगा। पर्चा डिकी जारी हो। तहसीलदार टोडरभीन को पासना के लिए लिखा जाये।

निर्णय आज दिनांक- 25/06/2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


जयदीप भाभी
उप विवेक अधिकारी
टोडरभीन जिला करीली